



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-03102024-257666
CG-DL-E-03102024-257666

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 285]
No. 285]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 1, 2024/आश्विन 9, 1946
NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 1, 2024/ASVINA 9, 1946

वस्त्र मंत्रालय
अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 अक्टूबर, 2024

अपैरल/गारमेंट्स और मेड-अप के निर्यात पर राज्य और केंद्रीय करों और लेवी में छूट की योजना (आरओएससीटीएल)

फा. सं. 12014/01/2023-टीटीपी.—इस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या 12014/01/2023-टीटीपी दिनांक 09.02.2024 और अधिसूचना संख्या 12014/01/2023-टीटीपी दिनांक 19.02.2024 के क्रम में, आरओएससीटीएल के तहत फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी) की दर में परिवर्तन करके 'शून्य' से 2.3% तक अधिसूचित किया जाता है जो अधिकतम रुपये 3.7 प्रति किलोग्राम के अधीन होगा।

आरओडीटीईपी समिति की दिनांक 26.06.2024 की रिपोर्ट की सिफारिश के अनुसार, आरओएससीटीएल के तहत एफआईबीसी पर केंद्र और राज्य लेवी का विवरण निम्नानुसार अधिसूचित किया जाता है:

अनुसूची 1: राज्य करों और लेवी की दरें

अध्याय-63				
अन्य मेड-अप्स वस्त्र वस्तुएं; सेट;				
फटे वस्त्र और फटे वस्त्र की वस्तुएं; रैग्स				
टैरिफ मद (ड्रॉबैक)	वस्तुओं का विवरण	इकाई	संशोधित दरें (% में)	संशोधित सीमा प्रति यूनिट रुपए में .
1	2	3	4	5
6305	बोरे और थैले-सामान की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले			
630501	फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी)	किलोग्राम	1.36%	2.2/किग्रा

अनुसूची 2: एम्बेडेड केंद्रीय लेवी की दरें

अध्याय-63				
अन्य मेड-अप्स वस्त्र वस्तुएं; सेट;				
फटे वस्त्र और फटे वस्त्र की वस्तुएं; रैग्स				
टैरिफ मद	वस्तुओं का विवरण	इकाई	संशोधित दरें (% में)	संशोधित सीमा प्रति यूनिट रुपए में .
1	2	3	4	5
6305	बोरे और थैले-सामान की पैकिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले			
630501	फ्लेक्सिबल इंटरमीडिएट बल्क कंटेनर (एफआईबीसी)	किलोग्राम	0.94%	1.5/किग्रा

शुभ्रा, व्यापार सलाहकार

**MINISTRY OF TEXTILES
NOTIFICATION**

New Delhi, the 1st October, 2024

Scheme for Rebate of State and Central Taxes and Levies on Export of Apparel/Garments and Made-ups (RoSCTL)

F. No. 12014/01/2023-TTP.—In continuation of this Ministry's Notification No. 12014/01/2023-TTP dated 09.02.2024 and Notification No. 12014/01/2023-TTP dated 19.02.2024 notified change in rate of Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC) under RoSCTL from 'NIL' to 2.3% subject to a cap of Rs 3.7 per Kg.

As per recommendation of RoDTEP Committee vide its report dated 26.06.2024, the break up of Central and State Levy on FIBC under RoSCTL are notified as under:

Schedule 1: Rates of State taxes and levies

CHAPTER-63				
OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES; SETS;				
WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS				
Tariff Item (Drawback)	Description of goods	Unit	Revised Rates (in %)	Revised cap per unit in Rs.
1	2	3	4	5
6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods			
630501	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)	Kg	1.36%	2.2/kg

Schedule 2: Rates of embedded Central levies

CHAPTER-63				
OTHER MADE UP TEXTILES ARTICLES; SETS;				
WORN CLOTHING AND WORN TEXTILE ARTICLES; RAGS				
Tariff Item	Description of goods	Unit	Revised Rates (in %)	Revised cap per unit in Rs.
1	2	3	4	5
6305	Sacks and bags, of a kind used for the packing of goods			
630501	Flexible Intermediate Bulk Containers (FIBC)	Kg	0.94%	1.5/kg

SHUBHRA, Trade Advisor